<u>समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ</u>

स्थान – **(सिविल न्यायालय) खटीमा जिला–उधमसिंहनगर**
(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधीन तहसील विधिक सेवा समिति, द्वारा आयोजित

दिनांकः 12.11.2022

पीठ संख्याः 22

फौजदारी वाद संख्याः 931/2022

परिवादी/वादीः उत्तराखण्ड राज्य

अभियुक्तः अमन कुमार

वाद की प्रकृति–

उपस्थित

अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक अदालत पीठः सुश्री दुर्गा।

सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ–: श्री मो0 इलियास सिददीकी।

उपरोक्त मामले के संबंध में अभियुक्त की ओर से पुलिस क्षेत्राधिकारी, खटीमा, जिला उधम सिंह नगर के समक्ष लोक अदालत में मामले का शमन कर लिया गया है। जुर्माने की रसीद इस लोक अदालत पीठ के समक्ष पेश कर कथन किया गया कि उक्त मामले का धारा 200 एम0वी0 एक्ट 1988 के तहत शमन कर दिया गया है और अभियुक्त के द्वारा शमन के बाबत संबंधित अर्थदण्ड धनराशि अदा कर दी गयी है। अतः अभियुक्त के द्वारा न्यायालय के समक्ष लम्बित वर्तमान फौजदारी वाद/चालान को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

2– ऐसी स्थिति में जबकि संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी, खटीमा, जिला उधम सिंह नगर के द्वारा वर्तमान चालान अंतर्गत मोटरयान अधिनियम 1988 का मोटरयान अधिकारी की धारा 200 के प्रावधान अनुसार शमन कर दिया गया है और अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय के समक्ष लम्बित वर्तमान फौजदारी वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है, वर्तमान फौजदारी वाद धारा 200 मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य के हस्ताक्षर हस्ताक्षर अध्यक्ष

....